

परिभाषाएँ

2. जब तक कि प्रसंग से अन्यथा: अपेक्षित न हो —

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "सहायक आयुक्त" से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के तहत संबंधित उप मण्डलों में तैनात सहायक आयुक्त अभिप्रेत है और उप मण्डलीय मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा निकोबार जिला के समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का परियोजना अधिकारी भी इसमें शामिल है;

(ग) "भवन" में गृह, उप गृह, अस्तबल, शौचालय, पेशाबखाना, शेड, झोपड़ी, दीवार (सीमांकन दीवार जिसकी ऊँचाई 8 फीट से अधिक न हो, को छोड़ कर) और कोई अन्य निर्माण, चाहे पक्की चिनाई, ईंट, लकड़ी धातु या किसी अन्य सामग्री से बना हो लेकिन किसी समारोह या त्योहार के अवसर पर बनाया गया कोई निर्माण अथवा टेंट को छोड़कर, आदि शामिल हैं;

(घ) "चीफ कैप्टेन" से धारा 53 की उप धारा (2) के तहत निर्वाचित एक द्वीप परिषद का चीफ कैप्टेन अभिप्रेत है;

(ङ) "उप चीफ कैप्टेन" से धारा 58 की उप धारा (1) के तहत निर्वाचित द्वीप परिषद का उप चीफ कैप्टेन अभिप्रेत है;

(च) "उपायुक्त" से निकोबार जिले का उपायुक्त अभिप्रेत है;

(छ) "जिला" से इस विनियम में निकोबार जिला अभिप्रेत है (शोम्पेन बन्दोबस्त क्षेत्र को छोड़कर) अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र का निकोबारी बन्दोबस्त क्षेत्र इसमें शामिल है;

(ज) "जिला न्यायाधीश" से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है;

(झ) "चुनाव आयोग" से धारा 94 में निर्दिष्ट अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का चुनाव आयोग अभिप्रेत है;

(ञ) "चुनाव आयुक्त" से धारा 94 में निर्दिष्ट अनुसार संघ राज्य क्षेत्र का चुनाव आयुक्त अभिप्रेत है;

(ट) "फर्स्ट कैप्टेन" से धारा 11 की उप धारा (1) के तहत निर्वाचित ग्राम परिषद का फर्स्ट कैप्टेन अभिप्रेत है;

(ठ) "द्वीप" से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र का ऐसा स्थानीय क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे प्रशासक अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में द्वीप घोषित कर सकेगा ;

(ड) "द्वीप परिषद" से धारा 52 के तहत द्वीप के लिए गठित द्वीप परिषद अभिप्रेत है;

(ढ) "भूमि" से पृथ्वी का भूतल का एक भाग अथवा जल के भीतर हो अथवा न हो और उससे सम्बद्ध सभी चीजें, अथवा ऐसे भागों से सम्बद्ध कोई चीज जो स्थायी रूप से जकड़ा हुआ हो, अभिप्रेत है;

(ण) "सरकारी राजपत्र" से अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का राजपत्र अभिप्रेत है;

(त) "जनसंख्या" से पूर्ववर्ती जनगणना जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, में अभिनिर्धारित जनसंख्या अभिप्रेत है;

(थ) "विहित" से इस विनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) "सार्वजनिक सड़क" से पथ, सड़क, स्ट्रीट, चौक, कोर्ट, गली, कार्ट ट्रैक, पगडंडी अथवा राइडिंग पाथ अभिप्रेत है जिस पर मार्ग का अधिकार है, चाहे किराए के माध्यम से अथवा नहीं और जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं ।